प्रेषक,

मो0 वासिफ,
अनु. सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय/
मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी मिशन,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक 10अक्टूबर, 2023**

विषय: राज्य स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत अयोध्या शहर में जोनल कार्यालय की परियोजना हेतु निर्गत प्रथम किश्त की धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रकरण में शासनादेश संख्या-14/2023/1259/नौ-9-2023-01-ई-1683153, दिनांक 11.08.2023 द्वारा अयोध्या शहर में जोनल कार्यालय की परियोजना हेतु कुल लागत धनराशि रू0 1019.48 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये 25 प्रतिशत के रूप में प्रथम किश्त की धनराशि रू0 254.87 लाख कतिपय शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त की गयी है।

2. उक्त धनराशि के सापेक्ष मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा पत्र संख्या-1541/106/SSCM/2021-22, दिनांक-25.09.2023 के माध्यम से वित्त विभाग के संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023, दिनांक 19.09.2023 के प्राविधानानुसार अयोध्या शहर में जोनल कार्यालय की परियोजना हेतु निर्गत प्रथम किश्त की शेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। संशोधित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 19.09.2023 के अनुसार रू0 05.00 करोड़ तक की लागत की नयी परियोजनाओं हेतु सम्पूर्ण धनराशि प्रशासकीय विभाग द्वारा तथा रू0 05.00 करोड़ से रू0 25.00 करोड़ तक दो समान किश्तों में तथा रू0 25.00 करोड़ से अधिक तीन किश्तों (35 प्रतिशत, 35 प्रतिशत व 25 प्रतिशत) में वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जाने आदि के निर्देश दिये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त यदि किसी विभाग द्वारा किसी योजना हेतु पूर्ववर्ती व्यवस्था के अनुसार प्रथम/द्वितीय/तृतीय किश्तें जारी की जा चुकी हैं, तो पूर्व में जारी किश्तों को समायोजित करते हुए उक्त संशोधित व्यवस्था के अनुसार अवशेष धनराशि अवमुक्त की जा सकेगी।

3. उक्त अनुरोध के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत अयोध्या शहर में जोनल कार्यालय की परियोजना हेतु प्रथम किश्त की धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष 25 प्रतिशत की **कुल धनराशि रू0 254.87 लाख (रूपये दो करोड़ चौवन लाख सत्तासी हजार मात्र)** निर्गत निम्नलिखित विवरण एवं शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर मा0 राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा कोषागार से आहरित कर स्टेट मिशन डायरेक्टर (स्मार्ट सिटी) के पदनाम से खुले स्टेट नोडल खाते में हस्तान्तरित कर रखी जायेगी एवं राज्य स्मार्ट सिटी मिशन गाइडलाईन्स, 2019 के दिशा निर्देशों/शासनादेश दिनांक 17.05.2021 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राज्य स्मार्ट सिटी, अयोध्या को अंतरित/व्यय की जायेगी।

(2) उक्त स्वीकृत की गयी धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च 2024 तक करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

(3) उक्त शासनादेश संख्या-14/2023/1259/नौ-9-2023-01-ई-1683153, दिनांक 11.08.2023 में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

4. इस संबंध में होने वाला व्यय **रुपये 2,54,87,000 (रूपये दो करोड़ चौवन लाख सत्तासी हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 037 के लेखाशीर्षक 2217050510300 राज्य स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17 मार्च, 2023 एवं यथासंशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023, दिनांक 19.09.2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Signed by मोहम्मद वासिफ
(मो0 वासिफ)
Date: 10-10-2023 18:07:01
अनु सचिव
Reason: Approved

<u>संख्या-2069(4)/नौ-9-2023-002-ई-1683153, तददिनांक</u>

<u>प्रतिलिपि</u> निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज।
2. महालेखाकार(लेखा-परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज ।
3. मण्डलायुक्त, अयोध्या।
4. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
6. निदेशक/अपर निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
7. जिलाधिकारी/नगर आयुक्त, अयोध्या।
8. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, अयोध्या।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
11. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(मो0 वासिफ)
अनु सचिव।